इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 फरवरी 2012—फाल्गुन 10, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 5064-वि.स-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 फरवरी, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१२ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में खण्ड (दो) तथा (तीन) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) की धारा ४ में उपबंध है कि किसी नगरेतर क्षेत्र में स्थित किसी कृषि-भूमि या उसके पार्श्व में का कोई ऐसा वासस्थान, जो १४ अप्रैल, २००३ को किसी भूमिहीन व्यक्ति के दखल में है, उक्त तारीख को ऐसे भूमिहीन व्यक्ति में भूमि स्वामी अधिकारों में निहित हो गया समझा जाएगा बशर्ते वह वासस्थान उस तारीख के पूर्व या एक से अधिक वर्षों तक उसके कब्जे में रहा हो.

२. राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई भूमिहीन व्यक्ति जो १४ अप्रैल, २००३ के पश्चात् ऐसे वासस्थान का कब्जा रखे हुए हैं तथा जो राज्य के नगरेतर क्षेत्रों में कृषि-भूमि पर स्थित हैं या उससे अनुलग्न हैं, वे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त नहीं कर सके हैं. कृषि-भूमियों में वासस्थान रखने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मूल अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ फरवरी, २०१२.

जयसिंह मरावी
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012—फाल्गुन 11, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मार्च, 2012

क्र. 1487-69-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 2 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 2. 2. In Secton 2 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiva Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) (hereinafter referred to as the principal Act), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted

Amendment of Section 3. 3. In Section 3 of the Principal Act, in clauses (ii) and (iii), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be subsituted.

Amendment of Section 4. 4. In sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is provided in Section 4 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) that in any non-urban area, homestead occupied by a landless person in or appurtenant to an agricultural land on the 14th April, 2003, shall on the said date be deemed to have vested in him in Bhumiswami rights provided he had been in possession thereof for one or more years prior to that date.

2. It has come to the notice of the State Government that several landless persons who has been in possession of homestead after 14th April, 2003, which is situate on or appurtenant to agricultural land in non-urban areas of the State could not get the Bhumiswami rights. With a view to confer Bhumiswami rights on such landless persons having homesteads in agricultural lands, it has been decided to amend the Principal Act, suitably.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 22nd February, 2012.

JAISINGH MARAVI
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012